साहेबगंज समाहरणालय,
(जिला समाज कल्याण शाखा)।

"सखी वन स्टॉप सेन्टर" के लिए सृजित पदों पर बाह्य स्रोत से नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या – 01/2019

भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के DO No./16/02/2017-WW(e-28162/2, दिनांक 20.06.2019 के द्वारा साहेबगंज जिला में अवस्थित सखी वन स्टॉप सेन्टर के अधीन सृजित पद समूहों के विरूद्ध चिन्हित पदो के अनुसार दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर नियुक्ति/बाह्य स्रोतो से सेवाएँ प्राप्त करने हेतु बाह्य स्रोत से भरने का निर्णय लिया गया है।

सखी वन स्टॉप सेन्टर, साहेबगंज में बाह्य स्रोत पर नियुक्ति हेतु सृजित पदों की रिक्ति निम्नवत है :–

क्र0	पद का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनु0 जा0	अनु0 ज0 जा0
1	परामर्शदाता	01	01	0	0	0	0
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	01	0	0	0	0
3	रसोईया	01	01	0	0	0	0

उपर्युक्त क्रमांक 01 से 03 तक अंकित पदों हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखरण्ड, रांची के संकल्प संख्या 3854, दिनांक 01.06.18 के आलोक में **साहेबगंज जिला के स्थानीय महिला निवासीयों** से बाह्य स्रोत से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। जिसकी शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें निम्न प्रकार है : –

क्र0	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	दैनिक/एक मुस्त मासिक पारिश्रमिक
1	परामर्शदाता	स्नातकोत्तर (सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र)	11,193.00
2	कम्प्यूटर ऑपरेटर	स्नातक, कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी (30 WPM) तथा अंग्रेजी (35 WPM) में टंकक	9768.00
3	रसोईया	मैट्रिक	7016.00

उपर्युक्त सभी अराजपत्रित पद है तथा नियमित पद नहीं है। इन पदों पर की गई सभी बाह्य स्रोत नियुक्तियाँ शुद्ध रूप से तदर्थ होगी एवं नियुक्त व्यक्तियों को दैनिक पारिश्रमिक पर रखा जायेगा अतः ये पद किसी भी स्तर में संवर्ग के नहीं होंगे अर्थात इनमें कोई भी पद जिला स्तरीय संवर्ग का न होकर संवर्ग अवधारण से स्वतंत्र होगा।

वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 4569/वि0, दिनांक 05.07.2002 में निहित शर्त्तों/प्रक्रिया, योजना–सह–वित्त विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत मार्ग–निर्देशों के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक आधारित नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

उक्त पदों पर बाह्य स्रोत पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्ते है : –

1. **चयन के लिए उम्र सीमाः (01.01.2019 के आधार पर)**

कोटि	न्यूनतम आयु (वर्ष में)	अधिकतम आयु (वर्ष में)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए
अनारक्षित/पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा	21 वर्ष	38 वर्ष	43 वर्ष
अजा॰/अजजा॰	21 वर्ष	40 वर्ष	45 वर्ष

दैनिक पारिश्रमिक **पर नियुक्ति की शर्ते : –**

(क) दैनिक पारिश्रमिक एक वर्ष हेतु अनुमान्य होगा। आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जायेगा।

(ख) कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को एक माह के पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

(ग) दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर नियुक्त कर्मियों का स्थाई नियोजन नहीं होगा बल्कि स्वीकृत मानदेय की विरूद्ध उन्हें कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जायेगा।

(घ) दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक राशि के संबंध में योजना–सह–वित्त आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(च) दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त कर्मियों को कैलेन्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा, परंतु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

(छ) दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त कर्मियों का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगा।

(ज) दैनिक पारिश्रमिक पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।

(झ) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 3854, दिनांक 01.06.18 के आलोक में उक्त पदों पर साहेबगंज जिले के स्थानीय निवासियों ही नियुक्ति के पात्र होगें। अन्य जिले से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

नियुक्ति की प्रक्रिया :–

(1) दैनिक पारिश्रमिक आधारित नियुक्ति के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का दावा अमान्य होगा। उपायुक्त, साहेबगंज उक्त पदों के नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

(2) दैनिक पारिश्रमिक आधारित चयन में आरक्षण के नियमों का अनुपालन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के नाम कार्यालय के सूचना फलक/ www.sahibganj.nic.in पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) एक से अधिक पदों पर आवेदित करने वाले अभ्यर्थियों का प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा।

(4) प्रत्येक पद की रिक्ति के पाँच गुणा अभ्यर्थियों का चयन शीर्ष प्रारंभिक मेधा सूची उनके शैक्षणिक योग्यता के प्राप्ताकों के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा तथा उनका कम्प्यूटर हिन्दी एवं अंगेजी टंकण जाँच परीक्षा भी लिया जायेगा तथा कम्प्यूटर हिन्दी एवं अंगेजी टाईपिंग में क्रमशः 20 एवं 30 शब्द प्रति मिनट शुद्धता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(5) कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :–

(क) इच्छुक उम्मीदवार संलग्न विहित आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो की स्वअभिप्रमाणित प्रति, साहेबगंज जिला का जाति प्रमाण–पत्र, नियोजन हेतु निवासी प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र एवं अन्य वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) आरक्षण लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी को जाति प्रमाण–पत्र एवं नियोजन हेतु निवासी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित वर्ग में माना जायेगा।

(ग) विज्ञापन के साथ प्रकाशित विहित प्रपत्र में ही आवेदक आवेदन देंगे। साथ ही लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र निबंधिक डाक से दिनांक 6/9/2019 से 21/9/2019 के संध्या 5.00 बजे तक जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय के पता पर प्राप्त किया जायेगा। उक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञापन के शर्तो एवं रिक्ति को घटाने/बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 1883/जि0स0क0, साहेबगंज दिनांक 6/9/19।

प्रतिलिपि : – अधीक्षक, सखी वन स्टॉप सेन्टर, साहेबगंज को सूचनार्थ। निर्देश दिया जाता है कि विज्ञापन की प्रति सूचना पट पर प्रकाशन करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : – जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना से संबंधित दिशा–निर्देश, प्रपत्र एवं अन्य सभी सूचनाएँ साहेबगंज जिला के बेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : – आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : – निदेशक, समाज कल्याण, महिला बाल विकास विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : – विशेष सचिव–सह–परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : – अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : – सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

06/9/19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

आवेदन प्रपत्र

1. आवेदित पद का नाम – ....
2. आवेदक का नाम – ....
3. पिता/पति का नाम – ....
4. वर्तमान पता – ग्राम – .... पोस्ट–..
   थाना– .... जिला–..
   राज्य– .... पिन कोड–..
5. स्थायी पता – ग्राम – .... पोस्ट–..
   थाना– .... जिला–..
   राज्य– .... पिन कोड–..

स्व अभिप्रमाणित फोटो

6. शैक्षणिक योग्यता –

क्र0	शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/संस्थान का नाम	उत्तीर्ण का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत्
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

7. अन्य शैक्षणिक योग्यता –

परिक्षा का नाम	उत्तीर्ण का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत्

8. कार्य अनुभव –

क्र0	कार्य किये गये संस्था का नाम	अवधि	कार्य का प्रकार

9. (क) जन्म तिथि अंक में (दिन/माह/वर्ष)– [|] [|] [| | |]
   (ख) उम्र (01.01.2019 को) .... वर्ष (वर्ष .... माह .... दिन ....)
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग ....
11. लिंग – (महिला/पुरूष) – ....
12. अनुलग्नक : –
    1. 2. 3.
    4. 5. 6.

उपर्युक्त सभी तथ्य सही एवं दुरूस्त है कोई अंश गलत नहीं है।

स्थान –

आवेदक का हस्ताक्षर

(हिन्दी में) –

तिथि –

(अंग्रेजी में) –